



Neutral Citation No. - 2026:AHC:45108

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**रिट - बी संख्या - 889 वर्ष 2026**

राज देव तथा 5 अन्य

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तथा 14 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता

: अनुराग यादव, अरुण कुमार यादव

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता

: सी.एस.सी., सुधीर भारती

**न्यायालय संख्या - 55**

**माननीय न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय**

1. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता श्री अरुण कुमार यादव, राज्य-प्रत्यर्थीगण के लिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री शैलेश श्रीवास्तव तथा ग्राम सभा के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर भारती को सुना गया।

2. प्रस्तुत रिट याचिका निम्नलिखित राहत हेतु दाखिल की गई है :

*“(1) परमादेश की प्रकृति में आदेश अथवा निर्देश निर्गत किया जाए, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 को निर्देशित किया जाए कि वे पुनरीक्षण संख्या 108/2007-2008, राज देव बनाम राधे श्याम यादव, जो कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 333 के अंतर्गत लंबित है, का इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर यथाशीघ्र निस्तारण करें (अनुलग्नक संख्या 1)।”*

3. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उपर्युक्त पुनरीक्षण, जो कि धारा 229-बी, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत वाद से उद्भूत है, निजी प्रत्यर्थीगण को विपक्षी बनाते हुए याचिकाकर्तागण द्वारा दायर किया गया था तथा वर्ष 2007-2008 से लंबित है। उन्होंने आगे यह भी निवेदन किया कि लंबित कार्यवाही की आदेश-पत्रिका की सत्यापित प्रति, जो रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 5 के रूप में संलग्न है, अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि वाद का निस्तारण यथोचित तीव्रता से नहीं किया जा रहा है।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा विवाद के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, प्रस्तुत रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 1, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/प्रयागराज, उपर्युक्त पुनरीक्षण संख्या 108/2007-2008 का विधि के अनुसार, दोनों पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, इस आदेश की सत्यापित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से यथाशीघ्र, अधिमानतः दो माह की अवधि के भीतर निस्तारण करें।

दिनांक : 26 फरवरी, 2026

पी.एस.

(न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय)

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।